कार्यालय आयुक्त आदिवासी विकास
मध्यप्रदेश
द्वितीय मंजिल, सतपुडा भवन, भोपाल (मध्यप्रदेश)
दूरभाष: 0755-2551368, ई-मेल: tribal@nic.in

क्रमांक/ /क्रीड़ा/265/2017 भोपाल दिनांक

प्रति,

संचालक
जनसम्पर्क संचालनालय
बाणगंगा, भोपाल (म.प्र.)

विषय :-आदिवासी विकास विभाग द्वारा संचालित क्रीड़ा परिसरों में विभिन्न खेल विधाओं के उत्कृष्ट प्रशिक्षक टीम "एक ए-श्रेणी एवं दो बी-श्रेणी" की सेवायें बावत्।

=0=

आदिवासी विकास विभाग द्वारा संचालित क्रीड़ा परिसरों में प्रदेश के आदिवासी विद्यार्थियों के शारीरिक विकास एवं खेल प्रतिभा को राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के अनुरूप बनाने हेतु विभिन्न खेल विधाओं के उत्कृष्ट प्रशिक्षक टीम "एक ए-श्रेणी एवं दो बी-श्रेणी" की सेवाएं ली जाना है।

इस हेतु जारी किये जाने वाले विज्ञापन की स्वच्छ प्रति एवं सॉफ्ट कॉपी पत्र के साथ संलग्न है। इस विज्ञापन का प्रकाशन प्रदेश के आदिवासी विद्यार्थियों के हित में दिनांक 15 जून 2017 को प्रकाशित राष्ट्रीय एवं प्रदेश स्तरीय लोक प्रिय समाचार पत्रों में करवाने की कार्यवाही करें।

सही/-
(दीपाली रस्तोगी)
आयुक्त
आदिवासी विकास
मध्यप्रदेश

कार्यालय आयुक्त आदिवासी विकास
मध्यप्रदेश
द्वितीय मंजिल, सतपुडद्या भवन, भोपाल (मध्यप्रदेश)
दूरभाष: 0755-2551368, ई-मेल: tribal@nic.in

क्रमांक/ /क्रीड़ा/265/2017 भोपाल दिनांक

उत्कृष्ट प्रशिक्षक टीम "एक ए-श्रेणी एवं दो बी-श्रेणी" हेतु आमंत्रण की सूचना/विज्ञापन

आदिवासी विकास विभाग द्वारा प्रदेश के आदिवासी विद्यार्थियों के शारीरिक विकास एवं खेल प्रतिभा को राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के अनुरूप बनाने हेतु विभाग द्वारा संचालित निम्न 07 क्रीड़ा परिसरों में दर्शित खेल विधाओं के लिए उत्कृष्ट प्रशिक्षक टीम "एक ए-श्रेणी एवं दो बी-श्रेणी" की सेवाएं लेने हेतु 30 जून 2017 तक आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

क्रीड़ा परिसरों की सूची

क्र.	**क्रीड़ा परिसर का स्थान**	**संचालित खेल विधा**
1	बालक इंदौर	एथलेटिक्स (ट्रेक एंड फील्ड)
2	बालक श्योपुर	एथलेटिक्स (ट्रेक एंड फील्ड)
3	कन्या जिला डिंडौरी	एथलेटिक्स (ट्रेक एंड फील्ड)
4	बालक खरगोन	जिम्नास्टिक
5	कन्या धार	बैडमिंटन, टेबलटेनिस, स्क्वाश
6	कन्या झाबुआ	तीरंदाजी (Archery)
7	बालक शहडोल	क्लाइम्बिंग एवं बोल्डरिंग

आमंत्रण के नियम एवं शर्तें:-

1. **आमंत्रण हेतु न्यूनतम मापदण्ड -**

ए-श्रेणी के प्रशिक्षक हेतु - सम्बंधित विधा में ओलम्पिक में प्रतिभागिता/विश्वकप/एशियन गेम्स में पदक विजेता अथवा पदमश्री/राजीव गाँधी खेल रत्न/अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी अथवा ऐसा प्रशिक्षक जिसने ओलम्पिक में सम्मिलित भारतीय खिलाडियों को प्रशिक्षण दिया हो अथवा विश्वकप/एशियन गेम्स/कामनवेल्थ गेम्स में पदक विजेता भारतीय दल का प्रशिक्षक रहा हो।

बी-श्रेणी के प्रशिक्षक हेतु - राष्ट्रमण्डल/एफ्रोएशियन खेल में सम्बंधित विधा में पदक विजेता खिलाड़ी अथवा इन खेलों में भारतीय दल/खिलाड़ी का प्रशिक्षक रहा हो।

2. **मानदेय** -

ए-श्रेणी के प्रशिक्षक हेतु - रूपये 150000/- प्रतिमाह।

बी-श्रेणी के प्रशिक्षक हेतु - रूपये 100000/- प्रतिमाह।

3. **प्रोत्साहन राशि** - खिलाडियों के राष्ट्रीय स्तर एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगितओं में चयन एवं प्राप्त पदकों के आधार पर विभाग द्वारा निर्धारित प्रोत्साहन राशि देय होगी।
4. आवेदक को चयनित स्थान पर ही निवास करना होगा।
5. राज्य स्तर, राष्ट्रीय स्तर एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की विभिन्न खेल एजेंसी/विभागों से समन्वय स्थापित कर लक्ष्य पूर्ति हेतु आवश्यक कार्ययोजना तैयार करना।
6. मापदंडों के अनुसार खिलाडियों का चयन एवं प्रशिक्षण की कार्ययोजना तैयार करना।
7. चयनित प्रशिक्षकों को क्रीड़ा परिसरों के अधोसंरचना विकास एवं सम्बंधित विधाओं के उपकरणों के चयन तथा रखरखाव में मदद करना होगी।
8. उक्त सेवाएं तीन वर्ष के लिए होंगी। समय-समय पर विभाग द्वारा सेवाओं का आंकलन किया जायेगा। सेवाएं सन्तोषप्रद न होने एवं अन्य किसी भी कारण से सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं।
9. उक्त पदों पर आवेदक का किसी भी प्रकार का धारणाधिकार नहीं होगा।
10. प्रत्येक विधा के ए-श्रेणी प्रशिक्षक स्वयं अपने साथ उसी विधा के दो बी-श्रेणी के प्रशिक्षकों की टीम बनाकर आवेदन करें, परन्तु सभी प्रशिक्षकों के संलग्न करें।
11. चयन का अधिकार पूर्णत: विभाग के विवेकाधीन होगा, जिस पर किसी भी प्रकार वाद स्वीकार नहीं किया जायेगा।